मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08/07/2022

क्र. एफ 16-48/2021/ए-ग्यारह : राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स ब्रिजस्टोन इण्डिया प्रा.लि. की खेडा ग्रोथ सेन्टर, पीथमपुर जिला धार में लगभग रूपये 350.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से रेडियल टायर निर्माण इकाई में विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP22857) पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ परियोजना अंतर्गत प्लांट मशीनरी तथा भवन में किये गये निवेश पर 20% की स्थिर दर पर 7 समान वार्षिक किस्तों में शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा। विस्तार/डायवर्सिफिकेशन परियोजना हेतु रोजगार गणक '1' मान्य किया जाये।

2. **विद्युत शुल्क से छूट-** इकाई द्वारा स्थापित विद्युत कनेक्शन पर विस्तार परियोजना हेतु लिये गये अतिरिक्त भार पर उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 5 वर्ष हेतु छूट प्रदान की जाती है।

3. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-48/2021/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 08 /07/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, M/s Bridgestone India Private Limited, Plot No A-43, Phase II, MIDC Chakan, Village-Sawardari, Taluka Khed, dist. - Pune, Maharashtra - 410501।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग